

# मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2000 (आषाढ 29, 1922)

समय 10.30 बजे बिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (क) क्रमांक ए-3-76-99-विक-पांच (26), दिनांक 30 मार्च, 2000; तथा  
(ख) क्रमांक ए-3-74-99-वि.क.-पांच (49), दिनांक 9 जून, 2000.

पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री महेश तिवारी, कंकर मुंजारे, मुंशीलाल, सदस्य, धिलाई नगर के राजेन्द्र चौक निवासी चार सगी बहनों द्वारा सामूहिक रूप से आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री बृजमोहन बर्नीनारायण, लाल सिंह, तेजसिंह सेंधव, सदस्य, देवास जिले के खातेगांव में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित  
समय

### 4. शासकीय विधि विधेयक कार्य

1 घंटा (शेष 40 मि.) (1) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 18 सन् 2000) पर विचार किया जाय-वर्षा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घंटे (2) श्री रत्नेश सोलोमन, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) संशोधन विधेयक, 2000 (क्रमांक 19 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घंटा (3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री धनेन्द्र साहू, राज्यमंत्री धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश श्री महाकालेश्वर मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2000 (क्रमांक 21 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

### 5. नियम 138 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मि. प्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बृजमोहन अग्रवाल, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री भूपेन्द्र सिंह, डॉ. गौरीशंकर शंजवार, सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), नरोत्तम मिश्र, लाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, नारायण प्रसाद चंदेल, अमर अग्रवाल, मुन्ना सिंह, प्रभाकर सिंह तथा श्री महेश तिवारी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :  
दिनांक : 19 जुलाई, 2000

के.पी. तिवारी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.